रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2000/फाल्गुन 11, 1921
No. 134] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2000/PHALGUNA 11, 1921

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 1 मार्च, 2000

का. आ. 185(अ).—प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 29ए के अंतर्गत भारत सरकार की दिनांक 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं. 183(अ) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक—

(i) यह मानते हुए कि संपूर्ण भारत में प्रतिभूतियों के अवांछनीय सट्टे को रोकना आवश्यक है, एतद्द्वारा यह घोषणा करता है कि उक्त अधिनियम के क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति,

(क) उक्त अधिनियम, संबंधित शेयर बाज़ार के नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के अंतर्गत अनुमत हाज़िर सुपुर्दगी संविदा अथवा मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ार में की जानेवाली संविदाओं को छोड़कर सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण से संबंधित प्रतिभूतियों तथा मुद्रा बज़ार प्रतिभूतियों की बिक्रगी अथवा ख़रीद के लिए संविदा नहीं करेगा।

(ख) बांडों, डिबेंचरों, डिबेंचर शेयरों, प्रतिभूतिकृत त्रण तथा किसी व्यक्ति अथवा केंद्र अथवा राज्य के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी निकाय द्वारा जारी की गयी अन्य ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं नहीं करेगा।

लेकिन, कोई बैंकिंग कंपनी, कोई सहकारी बैंक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सहायक सामान्य बही खाता अथवा चालू खाता रखनेवाला कोई व्यक्ति अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य कोई व्यक्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक सामान्य बही खाते के जरिए समस्त सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं कर सकता है।

साथ ही, सविंदा की शर्तों के अनुसार संविदा की समाप्ति तक बकाया तैयार वायदा संविदाएं बनी रहेंगी :

यह भी शर्त है कि मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों में की गयी ऐसी संविदाएं :

(क) प्रतिभूतियां संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) अथवा प्रतिभूतियां और भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों अथवा उपविधियों अथवा उक्त अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति अथवा विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएंगी।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934का 2) के अंतर्गत अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (1973 का 46) के अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएंगी।

(ग) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (1956 का 42) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार की जाएंगी।

स्पष्टीकरण

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए

(क) 'बैंकिंग कंपनी' से तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) के यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनी से है।

(ख) 'सहकारी बैंक' से तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खंड (सी) के साथ पठित धारा 5 के खंड (सी सी आइ) में यथापरिभाषित बैंक से है।

[सं. आइडीएमसी.1/10.02.02/99-2000]

पी. आर. गोपालराव, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st March, 2000

S.O. 185(E).—In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India under section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) vide Government of India Notification No. 183(E) dated 1st March, 2000, issued under Section 29A of the said Act, the Reserve Bank of India—

(i) being of the opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in securities in the whole of India, hereby declares that no person in the territory to which the Act extends, shall, enter into any

(a) contract for the sale or purchase of Government securities, gold related securities and money market securities other than spot delivery contract or such other contract traded on a recognized stock exchange, as is permissible under the said Act, rules and bye-laws of such stock exchange.

(b) ready forward contracts in bonds, debentures, debenture stock, securitised debt, and other debt securities issued by any person or any body corporate established by or under a Central or State Act.

Provided that ready forward contracts may be entered into in all Government securities put through the Subsidiary General Ledger Account held with the Reserve Bank of India in accordance with the terms and conditions as may be specified by Reserve Bank of India, by a banking company, a co-operative bank or any person maintaining a Subsidiary General Ledger Account and a Current Account with the Reserve Bank of India or any other person permitted by the Reserve Bank of India :

Provided further that the outstanding ready forward contracts shall continue till termination of the contracts as per the contractual terms :

Provided further that such contracts entered into on the recognised stock exchanges shall be entered in accordance with –

a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the directions issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts;

b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Bankinmg Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India;

c) the provisions contained in the notifications issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

Explanation

For the purpose of this notification:

a) "banking company" means a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)

b) "co-operative bank" means a bank as defined in clause (cci) of section 5 read with clause (c) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).

[No. IDMC. 1/10.02.02/99-2000]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054